न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –28 / 2017 जिला सीकर।

1 मुरलीधर पुत्र बिरदू
2. पोखर पुत्र भोलू
3. किशन लाल पुत्र उदा
4. झाबर पुत्र मन्ना
5. कालू पुत्र दुला
6. गीगा राम पुत्र दुला
7. भगवाना पुत्र दुला
8. प्रभात पुत्र दूला
9. शिम्भू पुत्र गोगराज
10. बीरबल पुत्र बोदू
11. शिवचन्द पुत्र मुरली
12. मुकेश पुत्र बोदू
13. प्रभात पुत्र दूला
14. भग्गू पुत्र भोलू
15. माली राम पुत्र चतरा
समस्त जातियान जाट निवासीयान ग्रम गढभोपजी तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान ।
16. जगदीश प्रसाद सैनी पुत्र बोदू निवासी गढभोपजी तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर राजस्थान ।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर दिनांक 13.1.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलार्थी श्री बंशीधर जाट
2. राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक–10.1.2018

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी खण्डेला , जिला सीकर के निर्णय दिनांक 13.1.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि तहसीलदार खण्डेला , जिला सीकर द्वारा पत्र क्रमांकः भू.अ. / 2016 / 166 दिनांक 12.1.2017 से उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर को ग्रम गढ भोपजी , तहसील खण्डेला, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 255, 256, 262, 267, 347, 344, 341, 340, 339, 336 से 338 में प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने की अभिशंषा की गई । तहसीलदार खण्डेला की उक्त अभिशंषा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा आदेश क्रमांकः राजस्व / 2017 / प.म. लोहरवाडा / 02 दिनांक 13.1.2017 में यह माना है कि मुताबिक

फर्द मौका रास्ता प्रचलित एवं पुराना है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है तथा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है तथा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है । अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58,59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संलग्न् सूची व नक्शा ट्रेस में अंकित / दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये एवं निम्न खसरा नम्बरों की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामांतरकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने व नक्शे में उक्नानुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये गये । गैर मुमकीन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी तथा तहसीलदार खण्डेला द्वारा भेजा गया प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा ।

उप खण्ड अधिकारी खण्डेला के उक्त आदेश दिनांक 13.1.2017 के. खिलाफ अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्रों के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर के आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट्स अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे इसलिये अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं होने से अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है तथा अपीलान्ट्स प्रभावित पक्षकार थे जिन्हें अपील प्रस्तुत करना आवश्यक था । अतः धारा 96 सी.पी.सी. एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे तथा अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जावे । अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि बाबत रास्ता प्राप्त करने , राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम करने हेतु किसी भी ग्रमवासी द्वारा आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया । पटवारी हल्का द्वारा मनमर्जी से अपीलान्ट्स को हैरान व परेशान करने की गरज से गलत आधारों पर रिपोर्ट तैयार की है ओर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर न्यायिक विवेक का उपयोग किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है । उनका कहना था कि ग्रम गढभोपजी ग्रम लोहरवाडा का ही हिस्सा था , बाद विभाजन ग्रम लोहरवाडा की सीमा के अन्दर से रास्ता चालू है तथा खसरा नम्बर 336 की पश्चिमी सीमा में करीबन 100 मीटर आगे डामर सडक है, खसरा नम्बर 336 व डामर सडक के मध्य रास्ता पूर्णतया बन्द है एवं खसरा नम्बर 339 में पुख्ता मकानात बने हुये हैं तथा खसरा नम्बर 267 में मकानात बने हुये हैं खसरा नम्बर 262 में देवस्थान है व खसरा संख्या 256 की सीमा पर लैट्रीगं –बाथरूम बने हुये हैं । जो रास्ता प्रस्तावित किया गया है वह मौके पर न तो चालू है और न ही चालू करवाया जा सकता है । राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्तियों के बहकावे में आकर व अपीलान्ट्स को हैरान व परेशान करने की नियत से बिना मौके पर गये ही तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट तैयार की है । उनका कहना था कि अपीलाधीन आदेश व तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट एकपक्षिय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट्स को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में आवश्यक था । उनका कहना था कि अपीलान्ट्स प्रभावित व्यक्ति है जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य सुनवाई

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक था । राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.8.16 के अनुसार जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह अपीलान्ट्स को बिना सुने एकपक्षीय आदेश है , जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्नीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित रास्ता राजस्व रिकार्ड में नक्शे में रास्ता कदीमी रूप से बना हुआ है तथा नक्शे में रास्ता डोटेड लाईन से अंकित है । पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई रिपार्ट को तहसीलदार खण्डेला ने उप खण्ड अधिकारी खण्डेला को विवादित भूमि में प्रस्तावित रकबे को रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने की अभिशंषा के साथ प्रेषित की थी । तहसीलदार की उक्त अभिशंषा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा आदेश क्रमांकः राजस्व/2017/प.म. लोहरवाडा/02 दिनांक 13.1.2017 में यह माना है कि मुताबिक फर्द मौका रास्ता प्रचलित एवं पुराना है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है तथा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है तथा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है । अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58,59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संलग्न् सूची व नक्शा ट्रेस में अंकित / दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये एवं निम्न खसरा नम्बरों की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामांतरकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने व नक्शे में उक्नानुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये गये । गैर मुमकीन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी तथा तहसीलदार खण्डेला द्वारा भेजा गया प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा । अपीलाधीन आदेश व तहसीलदार की रिपोर्ट उचित एवं विधिसम्यक है जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई विधिक कारण नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में तहसीलदार खण्डेला, जिला सीकर द्वारा पत्र क्रमांकः भू.अ./20176/166 दिनांक 12.1.2017 उप खण्ड अधिकारी खण्डेला को प्रेषित कर आराजी खसरा नम्बर 255, 256, 262, 267, 347, 344, 341, 340, 339, 336 से 338 में प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने की अभिशंषा किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा आदेश क्रमांकः राजस्व/2017/प.म. लोहरवाडा /02 दिनांक 13.1.2017 पारित कर तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार प्रस्तावित रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये एवं निम्न खसरा नम्बरों की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामांतरकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने व नक्शे में उक्नानुसार तरमीम किये जाने के एवं गैर मुमकीन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहने तथा तहसीलदार खण्डेला द्वारा भेजा गया प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहने के आदेश दिये हैं ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला ,जिला सीकर ने तहसीलदार की अभिशंषा के आधार पर प्रश्नगत

भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने व नक्शे में तरमीम करने के आदेश पारित किये हैं , जिनमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर